# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के अनुरूप ग्रुप जी में संवर्गित **उप जिला शिक्षा अधिकारी–शा0शि0 एवं समकक्ष पद पर (ग्रुप–जी)** पे–बेण्ड 15600–39100 पीबी–3 ग्रेड पे 5400 में वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांकः–शिविरा/मा/संस्था/बी–III/डीपीसी/उपजिशिअ(शाशि)/2019–20 दिनांक 08.07.19 द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारी को इनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के द्वारा चयनोपरांत प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर पदस्थापित किया जाता हैः–

| क्र. सं | वरि. क्र. | वर्ष | नाम कार्मिक | व र्ग | जन्म दिनांक | वर्तमान पदस्थापन | जिला | पदोन्नति पर पदस्थापन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1992–93 | सीमा चौधरी | | 03.10.1965 | राधाकृष्णन मारूराबाउमावि | सीकर | जिशिअ(मुख्यालय)माशि सीकर |
| 2 | 9 | 1992–93 | देवकन्या | | 05.05.1962 | राउमावि, पिपलिया, | झालावाड | जिशिअ(मुख्यालय) माशि झालावाड |
| 3 | 14 | 1992–93 | पूरणमल मीणा | st | 02.08.1963 | राउमावि रैणी | अलवर | जिशिअ(मुख्यालय) माशि करौली |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता एवं विभागीय जांच (सीसीए नियम 16 व 17 में) बकाया नहीं होने का मिलान कर पुष्टि करेंगे, तथा यह भी सुनिश्चित करेगें कि कार्मिक का वरिष्ठता वर्ष वर्तमान कार्यरत मण्डल का ही हो, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल ad.esttab.dse@rajasthan.gov.in पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांकः–31.01.2021 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। **यदि पदस्थापित स्थान पर चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तो चुनाव आचार संहिता समाप्ति उपरान्त कार्यग्रहण करेंगें।** लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल से सूचित करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की अवस्था में इसे पदोन्नति परित्याग माना जावेगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/बी–1/45001/उपजिशिअ शाशि/डीपीसी पदस्थापन 19–20/2019 दिनांक 20.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. प्रमुख शासन सचिव–स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (क–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान–सरकार, जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
05. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
06. संबंधित संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा
07. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक सीकर।
08. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
09. संबधित संस्था प्रधान।
10. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पावन्द किया जाता है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना करते हुए नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगें ।
11. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ ओएसी प्रभाग।
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक–कार्मिक